भूमि के बराबर गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण किया जाए।

(2) जहां गैर-वन भूमि उपलब्ध न हो, वहां उपयोग में लाए जा रहे वन क्षेत्र से दुगुने अवक्रमित वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण किया जाए।

(3) जहां उपयोग में लाए जा रहे वन क्षेत्र की तुलना में गैर-वन भूमि कम उपलब्ध हो, वहां उपलब्ध गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के अलावा, उपयोग में लाए जा रहे वन क्षेत्र और उपलब्ध गैर-वन भूमि के बीच अन्तर को दुगुनी अवक्रमित वनभूमि पर पौधरोपण किया जाए। बशर्ते कि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाए।

(4) पहाड़ी जिलों में अलग से परिचालित की जाने वाली सूची के अनुसार तथा अन्य जिलों में जिनमें कुल भोगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग में वन हैं, उनमें गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए जोर नहीं दिया जाएगा और इसकी अनुमति उपयोग में लाई गई वन भूमि की दुगुनी अवक्रमित भूमि पर दी जाएगी बशर्ते कि उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो और उसको उपयोग में लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कोई एक हो :—सम्पर्क मार्गों का निर्माण, पानी से संबंधित छोटे छोटे निर्माण कार्य, लघु सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य, स्कूल भवन, औषधालय, अस्पताल, सरकार के छोटे-मोटे ग्रामीण औद्योगिक शेड अथवा कोई अन्य तदनुरूप कार्य जिससे उस क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हो।

निम्नलिखित मामलों में क्षतिपूरक वनरोपण पर जोर नहीं दिया जाएगा :—

(क) विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के मामले में बशर्ते कि उपयोग में लाया जाने वाला वन क्षेत्र 10 हेक्टेयर से कम हो।

(ख) ऐसे खनन पट्टों के नवीकरण के मामले में जो या तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पूर्व वन भूमि पर चल रहे थे या जिनका अधिनियम के बन जाने के बाद केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से नवीकरण किया गया था, किन्तु जिनमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पूर्व निर्धारित शर्त नहीं थी।

(ग) एक हेक्टेयर से कम विस्तार वाले छोटे क्षेत्रों में वन भूमि को उपयोग में लाने के मामले में, जब कि विभाग द्वारा इसके लिए विशेष रूप से न कहा जाए।

Madhya Pradesh Government's request for Keeping the Land of Revenue Department out of the Purview of the Forest (Conservation) Act, 1980

1066. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI CHANDAN SHARMA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any request has been made by the Madhya Pradesh Government to keep 23,500 square kilometre area of land which has been shown in the Revenue record as forest comprising of small shrubs and bushes, outside the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980 for the overall development of the State; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI SUMATI ORAON): (a) and (b) No proposal has been received by the Central Government from the Government of Madhya Pradesh to keep 23,500 square kilometers area of Revenue Department out of the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980.